~~13~~ Q413

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013 **Order** Dated Shimla-171002, the

Sub :- Diversion of 1.0920 hectares of forest land in favour of HPPWD for the construction of Missing Links of old Kasumpti-Junga raad (Km. 4/290 to 6/230),within the jurisdiction of Shimla Forest Division and distt. Shimla, HP.

भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय **कार्यालय** चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPB241/2012 – CHA दिनांक 13.06.13** के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा 1.0920 hectares of forest land को HPPWD को for the construction of Missing Links of old Kasumpti-Junga raad (Km. 4/290 to 6/230),within the jurisdiction of Shimla Forest Division and distt. Shimla, HP को उपयोग के लिए निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।

2 कम से कम वृक्ष/Saplings कटवायें जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार एक सौ चौवन वृक्षों और 35 Saplings से अधिक नही होगी।

3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार U-47 Jajhar में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये **2,57,854/–**(दौ लाख सत्तसवन हजार आठ सौ चौवन मात्र) की राशि से कुल **2.20** हैक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। **प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।**

4 No labour camp shall be established on the forest land.

5 The User Agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.

6 The user agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the flora and fauna available in the area.

7 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

8 भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देश संख्या **11–48/2002 – FC दिनांक 29/30 अप्रैल-2005, 5-3/2007-FC दिनांक 17 जनवरी 2011** तथा अन्य जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

9 यदि कोई अन्य संबधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार / **प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।**

APCCF (FCA)
1746
15/7/13
PCCF
11/7

10 भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ के अर्न्तगत पूंव में जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPB117/2012 – CHA** **दिनांक 11.06.13**में जारी सभी शर्तो की पालना सुनिश्चित की जायेगी I

11 उपरोक्त निर्माण में जो भी वृक्ष आयेगें उन्हे हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा हटाया जायेगा।

12. A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum- Deputy Commissioner, District Shimla, HP.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रेद नही पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार षिमला –2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA) Dated, Shimla-171001 the,... 6-7-13.

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31,–A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer –cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001
5. The Deputy Commissioner, Shimla. Distt,Shimla, Himachal Pradesh .
6. Executive Engineer, Shimla Division No.1, HPPWD, Shimla, HP.
7. CCF,Shimla /DFO, Shimla Forest Division & Distt. Shimla H.P.
8. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.